

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी- पीयूष समारिया
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 37/2020

1. हनुमान पुत्र राधेश्याम उर्फ कालूराम जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम झाझरवाला उप तहसील सैंथल तहसील दौसा जिला दौसा।

...अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सैंथल तहसील दौसा जिला दौसा।

...रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय उप तहसीलदार सैंथल दिनांक 09.11.2020 प्रकरण
उनवानी सरकार बनाम हनुमान मु0नं0 309/2020 अंतर्गत धारा 75 राज0
लैण्ड रेवेन्यू एक्ट।

- उपस्थित:
1. श्री गौरीशंकर सिंगवाडिया, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से
 2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक: 24.9.2021

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि उप तहसीलदार, सैंथल ने दिनांक 09.11.2020 को ग्राम झाझरवाला तहसील दौसा के आ0ख0नं0 1 के रकबा 0.01 है0 किस्म चरागाह पर संवत् 2077 में गोबर डहरा से अतिचार करने पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पैनल्टी एवं 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दंडित कर दिया। इसी आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोंडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया है। पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर न्यायिक निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट ने वादग्रस्त चरागाह भूमि पर कोई कब्जा नहीं किया है और ना ही पूर्व में कब्जा रहा है। अपीलांट द्वारा किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं किया है। बिना किसी आधार पर अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर बिना साक्ष्य व सबूत का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का होने का भी प्रमाण व सबूत पत्रावली में नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.11.2020 को निरस्त फरमाया जावे

राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि पर गोबर का डहरा बनाकर अतिक्रमित भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर भू अभिलेख निरीक्षक से जांच करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक की जांच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत संलग्न रिपोर्ट धारा 91 पर गोबर डहरा से अतिक्रमण करना अंकित किया है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। नोटिस की तामील पर अपीलांट के पिता के हस्ताक्षर अंकित है जो पत्रावली में संलग्न है। अपीलांट बाद तामील अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अतः

अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि अपीलांट को समुचित सुनवाई व सबूत एवं जिरह का अवसर नहीं दिया जाकर निर्णय पारित किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की प्रस्तुत रिपोर्ट की कौफियत में अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी अंकित किया है। अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जांच भू अभिलेख निरीक्षक से करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक की जांच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट को पटवारी हल्का की रिपोर्ट में राजकीय चरागाह भूमि पर गोबर डहरा से अतिक्रमण करना अंकित किया है, जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक की जांच अंकित है। साथ ही रिपोर्ट की कौफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना बताया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए निर्णय दिनांक 9.11.2020 द्वारा बेदखली, पैनल्टी एवं 60 दिवस के सिविल कारावास से दंडित करने का आदेश पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा अपील के संलग्न प्रस्तुत शपथपत्र की जांच उप तहसीलदार सैंथल से कराई गई। उप तहसीलदार सैंथल द्वारा रिपोर्ट दिनांक 30.4.2021 के द्वारा अवगत कराया है कि अतिक्रमी द्वारा चरागाह भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि अपीलांट द्वारा चरागाह भूमि पर कोई कब्जा ना तो पूर्व में था और न ही अभी है। उप तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि अतिक्रमी द्वारा अपील के संलग्न जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था उसमें गलत तथ्य अंकित कर न्यायालय को गुमराह किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सैंथल द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.11.2020 के विरुद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है। तहसीलदार दौसा को आदेश दिये जाते हैं कि अपीलांट द्वारा न्यायालय के समक्ष झूठा शपथपत्र पेश कर न्यायालय को गुमराह करने की एवज में पृथक से अपीलांट के विरुद्ध नियमोचित कार्यवाही अमल में लाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली एवं निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। तहसीलदार दौसा को निर्णय की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय सुनाया गया।



(पीयूष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा

(पीयूष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा